संख्याः 213 / 18(1) / 2006

प्रेषक,

एन0एस0नपलच्याल,
प्रमुख सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
नैनीताल।

राजस्व विभाग देहरादूनः दिनांकः 22 अप्रैल, 2006

विषयः–पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हल्द्वानी को धर्मशाला एंव सांस्कृतिक केन्द्र हेतु भूमि पट्टे पर आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–118 / 11–खाम / 2005 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच हल्द्वानी को धर्मशाला एंव सांस्कृतिक केन्द्र की स्थापना हेतु राजस्व अनुभाग–1 (उ0प्र0शासन) के शासनादेश संख्या–558 / 16(1) / 73–रा–1 दिनांक 9 मई, 1984 तथा शासनादेश संख्या–1695 / 97–1–1(60) / 93–रा–1 दिनांक 12–9–97 में दिये गये प्राविधानों में शिथिलता प्रदान करते हुये जनपद नैनीताल के हल्द्वानी में स्थित शीशमबाग के खसरा संख्या 566 मी0 मध्ये कुल रकबा 1103.825 वर्ग मी0 भूमि जिसमें धर्मशाला – 88.44 वर्ग मी0, सांस्कृतिक मंच– 206.225 वर्ग मी0, कार्यालय–57.64 वर्ग मी0, दुकान–273.84 वर्ग मी0, मंदिर– 441.60 वर्ग मी0 एंव गैराज–36.08 वर्ग मी0 सम्मिलित है, को निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क पट्टे पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1) संस्था को भूमि 90 वर्ष के पट्टे पर दी जायेगी, जिसका नवीनीकरण 30–30 वर्ष में दो बार किया जा सकेगा।

(2) संस्था की शासी निकाय में शासन के प्रतिनिधि के रूप में जिलाधिकारी नैनीताल को सम्मिलित करना अनिवार्य होगा।

(3) संस्था आवंटित भूमि पर वर्तमान में निर्मित भवनों के अतिरिक्त अन्य निर्माण कार्य नहीं करेगी।

(4) संस्था रिक्त भूमि का प्रयोग पार्क के रूप में करने से किसी भी व्यक्ति को नहीं रोकेगी।

(5) संस्था आवंटित भूमि पर स्थित मंदिर में किसी भी व्यक्ति को आने–जाने अथवा पूजा–अर्चना करने से नहीं रोकेगी।

(6) संस्था इस भूमि एंव परिसर का प्रयोग उपरोक्त घोषित प्रयोजन के अलावा नही कर सकेगी।

(7) संस्था के विघटन अथवा उसे परिसर एंव इस भूमि की आवश्यकता न रहने पर भूमि एंव उस पर निर्मित भवन स्वतः ही राजस्व विभाग में निहित हो जायेंगे।

(2)

(8) संस्था द्वारा नियमों के अधीन निर्धारित वार्षिक किराया नियमित रूप से जमा किया जायेगा।

(9) नवीनीकरण के समय तत्समय निर्धारित नवीनीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से देय होगा।

(10) संस्था द्वारा उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन किये जाने की दशा में शासन को किसी भी समय बिना सूचना के पट्टा निरस्त करने का अधिकार होगा।

(11) संस्था को आवंटित इस भूमि में किसी शासकीय कार्यक्रम के आयोजन के लिये संस्था द्वारा कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

(12) संस्था को यह भूमि विशेष परिस्थितियों में निःशुल्क आवंटित की जा रही है। अतः इसे दृष्टांत नहीं बनाया जायेगा।

2– कृपया तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एन0एस0नपलच्याल)
प्रमुख सचिव।

संख्या एंव तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– मुख्य राजस्व आयुक्त, उतरांचल, देहरादून।
2– मण्डलायुक्त, कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
3– श्री भुवन चन्द्र जोशी, महासचिव, पर्वतीय सांस्कृतिक उत्थान मंच, हीरानगर, हल्द्वानी।
4– निदेशक, एन0आई0सी0 उत्तरांचल।
5– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सोहन लाल)
अपर सचिव।